राजस्व अपील संख्या : 09/2025
उनवान : धन्नाराम बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 9/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/52

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
धन्नाराम पुत्र श्री कसाजी जाति चौधरी निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नायब तहसीलदार बाली बइजलास रमेशसिंह राव आर.टी.एस. द्वारा मुकदमा संख्या 409/2024 सरकार बनाम धन्नाराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 व दिनांक 21.10.2024 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़

–:निर्णय:–

दिनांक: 28.05.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर नायब तहसीलदार बाली द्वारा मुकदमा संख्या 409/2024 सरकार बनाम धन्नाराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 व दिनांक 21.10.2024 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, बाली द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध रिपोर्ट इस अमर की पेश कि अपीलाण्ट द्वारा संवत् 2080 में राजस्व भूमि खसरा संख्या 275 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता बाली में नया अतिक्रमण पक्का मकान का होना बताकर प्रतिवेदन पेश किया। जिस प्रतिवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 24.07.2024 को प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत दर्ज कर नोटीस जारी किये जाने का आदेश दिया गया जिस आगामी पेशी पर अपीलांट की पुत्रवधु की उपस्थिति दर्ज कर जवाब हेतु समय दिया व दिनांक 30.08.2024 को अनुपस्थिति दर्ज करते हुए जवाब हेतु दिनांक 30.09.2024 मुकर्रर की तत्पश्चात अन्तिम जवाब हेतु दिनांक 21.10.2024 को नियत की गई व दिनांक 21.10.2024 को भी अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए सरकारी भूमि पर पक्का मकान बाबत अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

घोषित करते हुए बेदखली के आदेश दिये गये व लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित किया गया तथा पत्रावली फैसल की गई। जिस आदेश दिनांक 24.07.2024 व 21.10.2024 से व्यथित एवं व्याकुल होकर अपीलाण्ट निम्न आधारों पर यह अपील पेश की गईः–

यह है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का, बाली की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को सरकारी भूमि खसरा संख्या 275 रकबा 0.11 हैक्टेयर में पक्का मकान बनाकर 0.01 हैक्टेयर पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाना बताया जाता है, जबकि उपरोक्त खसरा नम्बर 275 की भूमि राजस्व अभिलेख की जमाबंदी अनुसार नगरपालिका बाली के खाते मे बतौर खातेदार दर्ज है। जबकि उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि नहीं होने पर रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट को अतिक्रमी सरकारी भूमि पर होना मानने में विधि एवं तथ्यात्मक भूल व त्रुटि की है। जिससे अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति योग्य है।

यह है कि, राजस्व भूमि अभिलेख अनुसार खसरा नम्बर 275 रकबा 0.11 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में नगरपालिका बाली के नाम से दर्ज है व नगरपालिका बाली के नाम से दर्ज होने से गैर मुमकिन आबादी भूमि में आती है। जिससे नगरपालिका स्थानीय स्वायत संस्था होने से अगर नगरपालिका अतिक्रमण मानती है तो नगरपालिका अपने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दिये गये प्रावधानों के तहत सक्षम है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारो से परे जाकर अपीलाण्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानने, प्रकरण दर्ज करने में कानुनी एवं तथ्यात्मक रुप से भूल व त्रुटि की है। जिससे अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति योग्य है।

यह है कि, खसरा नम्बर 275 से लगते हुए खसरा नम्बर 274 सरहद बाली में आई हुई अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 275 व जिस भूमि पर रकबा 0.01 हैक्टेयर पर अतिक्रमी होना बताया है वह कतई गलत है तथा अपीलाण्ट का पक्का मकान काफी वर्षो पुराना खसरा नम्बर 274 में बना हुआ है। जिससे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर खसरा नम्बर 275 का रकबा 0.01 हैक्टेयर पर अतिक्रमण माने जाने में कानुनी रुप से भूल व त्रुटि की है, अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली का आदेश दिनांक 24.07.2024 व 21.10.2024 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण संख्या 409/2024 का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया वक्त बहस रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध जिस भूमि से बेदखलीके ज़ैर अपील आलोच्य आदेश पारित किये है, उक्त भूमि नगरपालिका बाली के खाते में दर्ज है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत स्थानीय निकाय स्वयं अपनी भूमियों से अतिक्रमण हटाने हेतु सक्षम है। किन्तु हल्का पटवारी बाली द्वारा नगरपालिका खाते की भूमि को सिवायचक मानते हुए अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में क्षेत्राधिकार से परे जाकर रिपोर्ट पेश की तथा जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 24.07.2024 को प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 21.10.2024 को अपीलाण्ट के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दोनों आदेश क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित आदेश थे, अतः उन्हें निरस्त फरमावें।

यह भी, कि हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट में 'नवीन अतिक्रमण' बताया है, जबकि अपीलाण्ट का स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 274 में पुराना रहवासी मकान है, जिसके प्रमाणस्वरुप बिजली बिल अपील मीमो के सलंग्न प्रस्तुत किया गया है।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए:–

(1)'Mewaram Vs. The state of Rajasthan' 1998 DNJ (1) Raj. 221

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 409/2024 से संबंधित मूल रिकॉर्ड तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

सम्पूर्ण विश्लेषण उपरांत हस्तगत अपील के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु अंकन योग्य है:–

1. हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.07.2024 को तहसीलदार बाली को प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट में ग्राम बाली के खसरा संख्या 275 गै.मु. रास्ता को सिवायचक भूमि अंकित करते हुए अपीलाण्ट का 0.01 हैक्टेयर पर पक्के मकान के रुप में नया अतिक्रमण बताया गया है। उक्त रिपोर्ट के सलंग्न पत्र में पटवारी, बाली ने परिवादी श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री कसाराम चौधरी के परिवाद की जांच में उक्त अतिक्रमण साबित पाया जाना उल्लेखित करते हुए अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

   हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट के साथ कोई नजरी नक्शा अंकित नहीं किया गया है, जो खसरा संख्या 275 पर अपीलार्थी के तथाकथित कब्जे को दर्शा सके। तथा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खसरा संख्या 275 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर के किस भाग पर अथवा किस विशेष स्थान पर अपीलाण्ट का 0.01 हैक्टेयर पर तथाकथित अतिक्रमण है। साथ ही, हल्का पटवारी द्वारा पूर्वोक्त परिवाद की जांच में अतिक्रमण पाया जाना अंकित किया है, किन्तु ऐसी कोई जांच निमित मौका फ़र्द अथवा फोटोग्राफ इत्यादि हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार बाली को प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ पेश नहीं किए है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

2. राजस्व रिकॉर्ड से तस्दीक करने पर ज्ञात होता है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 275 किस्म गै.मु.रास्ता नगरपालिका बाली के खाते में दर्ज है। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तर्क सत्य है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, जो कि विशेष कानुन है, के अन्तर्गत नगरपालिका स्वयं कार्यवाही हेतु सक्षम है। यद्यपि राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की परिधि अत्यन्त व्यापक है, जिसमें समस्त प्रकार की भूमियां शामिल है।

किन्तु, महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत भूमि नगरपालिका बाली के खाते में दर्ज है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में न तो स्थानीय निकाय द्वारा इस बाबत प्रस्तुत कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खातेदार नगरपालिका बाली को पक्षकार इत्यादि बनाकर उनका पक्ष सुना गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 409/2024 में आदेशिका दिनांक 21.10.2024 द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध लगान का पचास गुना जुर्माना तथा बेदखली आदेश पारित कर प्रकरण को निर्णीत किया गया। किन्तु प्रकरण संख्या 409/2024 की मूल पत्रावली में सलंग्न नायब तहसीलदार बाली द्वारा भू.अ. निरीक्षक बाली एवं पटवारी बोया को लिखे गये पत्रांक/राजस्व/2024/23 दिनांक 09.10.2024 में अपीलाण्ट को भौतिक रुप से बेदखल कर पालना प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है।

महत्वपूर्ण है कि उक्त पत्रावली मूल बेदखली आदेश दिनांक 21.10.2024 से पूर्व 09.10.2024 को जारी होना अंकित है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 409/2024 के निर्णीत होने से पूर्व ही बेदखली हेतु अधीनस्थ राजस्व कर्मियों को निर्देशित करना विधि एवं न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के प्रतिकुल है

अतः, अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 409/2024 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2024 निरस्त किया जाता है। स्थानीय निकाय नगरपालिका बाली द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में तहसीलदार बाली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली